भारतीय गैर न्यायिक INDIA

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

!!श्री!!

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 8 अगस्त, सन् 2014 ईस्वी को जयपुर शहर में 1) श्रीमती सरोज गर्ग धर्मपत्नि श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, उम्र-40 वर्ष, जाति महाजन, निवासिनी-52, टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान, 2) श्री राजेश सहारण पुत्र श्री बी.आर.सहारण, उम्र-38 वर्ष, जाति-जाट,

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

519 | [illegible] 6-8-2014

[illegible] [illegible]

[illegible] के.जी.के. प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा. लि.

[illegible] डायरेक्टर राजेश कैन

[illegible] D-44A, भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

[illegible]

[illegible] विक्रय पत्र

[illegible]

निवासी-21/81, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान, जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे सम्मिलित रूप से प्रथमपक्ष विक्रेतागण तथा संदर्भानुसार प्रथमपक्ष विक्रेता संख्या 1 व प्रथमपक्ष विक्रेता संख्या 2 के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। (जिसमें कि उक्त प्रथमपक्ष विक्रेतागण स्वयं एवं उनके उत्तराधिकारी, मुख्तयारआम, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसान इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) की ओर से

बहक

मै. के.जी.के. प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विनियमों के अन्तर्गत निगमित एक प्राइवेट कम्पनी है) पंजीकृत कार्यालय- डी-44, भगत सिंह मार्ग, जयपुर, राज., जरिये निदेशक श्री सौरभ वोहरा पुत्र श्री शरद वोहरा, आयु लगभग-27 वर्ष, जाति जैन, निवासी फ्लैट न. 2, कोठारी अपार्टमेन्ट, एवेन्यू-4, लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राज0जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे चलकर द्वितीयपक्ष क्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें उक्त क्रेता के अंशधारी, निदेशकगण, मुख्तयारआम, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, एजेन्ट इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के हित में निम्न प्रकार से लिखा व तस्दीक किया जा रहा है-

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय पुनर्गठित भूखण्ड जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्यविहार योजना, मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर में स्थित है जो प्लाट नम्बर 01 क्षेत्रफल 266.62 वर्गगज, प्लाट नम्बर 02 क्षेत्रफल 420.13 वर्गगज, प्लाट नम्बर 25 क्षेत्रफल 464.44 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 26 क्षेत्रफल 464.44

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

आज दिनांक 8 माह अगस्त सन् 2014 को 03:15 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH SAHARAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री B.R. SAHARAN
उम्र 38 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSSINESS
निवासी 21/81, KAVERI PATH MANSAROVAR JAIPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2014396004711)
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर उपपंजीयक
JAIPUR-VI उपपंजीयक जयपुर-6

रसीद नं०	[2014396004802]
दिनांक	[8-8-2014]
पंजीयन शुल्क रू०	50000
प्रतिलिपि शुल्क रू०	0
पृष्ठांकन शुल्क रू०	300
अन्य शुल्क रू०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू०	0
कुल योग रू०	50300

(2014396004711) उपपंजीयक,JAIPUR-VI
((Sale Deed (Conveyance deed))) उपपंजीयक जयपुर-6

वर्गगज व प्लाट नम्बर 27 क्षेत्रफल 331.34 वर्गगज से मिलकर बना है, जिसकी उत्तरी भुजा की नाप पूर्व से पश्चिम 89 फीट 6 इंच जो दक्षिण दिशा की ओर घूमकर उत्तर-दक्षिण 69 फीट 6 इंच तथा पुनः बांई ओर अर्थात पूर्व दिशा की ओर घूमकर 55 फीट चलकर इस भूखण्ड की पूर्वी भुजा से मिलती है, पूर्वी भुजा की नाप उत्तर से दक्षिण 76 फीट हैं, दक्षिण भुजा की नाप पूर्व से पश्चिम 152 फीट 3 इंच है तथा पश्चिम भुजा की नाप उत्तर से दक्षिण 145 फीट 6 इंच है इस प्रकार इस पुनर्गठित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल- 1946.97 वर्गगज तथा जिसकी चर्तुसीमाओं में पूर्व दिशा की ओर- प्लॉट संख्या 24, पश्चिम दिशा की ओर-सडक 40 फीट चौडी, उत्तर दिशा की ओर- सडक 60 फीट चौडी तथा दक्षिण दिशा की ओर-सडक 30 फीट चौडी (जिसे यथापश्चात् 'उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड' के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा इस विक्रय पत्र के अन्त में वर्णित अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है तथा इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न-स्थल मानचित्र में 'पीले' रंग से दर्शाया गया है)।

जो कि उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड पांच स्वतंत्र भूखण्डों नम्बर प्लाट नम्बर 01 क्षेत्रफल 266.62 वर्गगज, प्लाट नम्बर 02 क्षेत्रफल 420.13 वर्गगज, प्लाट नम्बर 25 क्षेत्रफल 464.44 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 26 क्षेत्रफल 464.44 वर्गगज व प्लाट नम्बर 27 क्षेत्रफल 331.34 वर्गगज से मिलकर बना है। जिसमें से प्लाट नम्बर 01, महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्य विहार योजना जो कि मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -RAJESH SAHARAN / B.R. SAHARAN
उम्र -38 वर्ष जाति - JAT, व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी - 21/81, KAVERI PATH MANSAROVAR JAIPUR

2 -SAROJ GARG / KRISHAN KUMAR AGARWAL
उम्र -40 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - 52, TAGORE NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

(And Claiment)
1 -SAURABH VOHARA / SHARAD VOHARA
उम्र -27 वर्ष जाति - JAIN व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी -FLAT NO.2, KOTHARI APARTMENT LAL BAHADUR NAGAR JLN MARG JAIPUR AS DIRECTOR K.G.K. PROJECTS INDIA PVT.LTD

ने लेखपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 17000000 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 17000000 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री RAJENDRA AGARWAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE GOVIND RAM AGARWAL
उम्र -41 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी 7/406, MALVIYA NAGAR JAIPUR.,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री GOURAV UPADHYAY
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री MAHENDRA KUMAR UPADHYAY
उम्र -26 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -BUSSINESS
निवासी NAMAK KA KATRA BASAN GATE KE PASS ,DISTT-BHARATPUR RAJASTHAN.

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2014396004711)
Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक, JAIPUR-VI
उप पंजीयक
षष्ठम जयपुर

मूलतः डॉ अमित भार्गव को जरिये आवंटन पत्र दिनांक 13.08.1988 से आवंटित किया गया था जिससे सम्बन्धित समस्त राशियां समिति में जमा करवा कर आवंटी श्री अमित भार्गव द्वारा प्लाट संख्या 01 क्षेत्रफल 400.27 का भौतिक कब्जा मय मूल आवंटन पत्र व साईट प्लान प्राप्त कर लिया था। बाद आवंटन श्री अमित भार्गव ने उक्त प्लॉट को श्री प्रकाश चन्द हीरावत को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.10.2003 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 5100, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 303 के पृष्ठ संख्या 200 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1209, पृष्ठ संख्या 594 से 603 पर दिनांक 03.11.2003 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। बाद खरीद श्री प्रकाश चन्द हीरावत ने उक्त प्लॉट संख्या 1 को श्री गौतम चन्द हरकावत को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.12.2004 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 2004005679, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 98 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1339, पृष्ठ संख्या 564 से 574 पर दिनांक 30.12.2004 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् श्री गौतम चन्द हरकावत ने उक्त प्लॉट संख्या 1 को प्रथम पक्ष विकेता गण को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 30.04.2012 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201240001930, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 154 के पृष्ठ संख्या 82 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
सप्तम जयपुर-7

Pending In Minute Book No 2014396000484

दिनांक 8/8/2014कारण SITE INSPECTION

(2014396004711) हस्ताक्षर उप पंजीयक JAIPUR-VI

(Sale Deed (Conveyance deed))

Release From Minute Book No 2014396000487

दिनांक 11/8/2014 कारण RELEASE FOR REGISTRATION

(2014396004711) हस्ताक्षर उप पंजीयक, JAIPUR-VI

(Sale Deed (Conveyance deed))

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र

की मालियत रूपये 17000000

मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक

राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 50000 कुल रूपये 50000 जरिये रसीद सं

ख्या [2014396004802]

दिनांक [8-8-2014] में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 770150

के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है

(2014396004711) उप पंजीयक, JAIPUR-VI

(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 11/8/2014 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179

में पृष्ठ संख्या 52 क्रम संख्या 2014396003709पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 714

के पृष्ठ संख्या 19 से 46

पर चस्पा किया गया।

(2014396004711) उप पंजीयक, JAIPUR-VI

Sale Deed (Conveyance deed)

संख्या 614, पृष्ठ संख्या 390 से 404 पर दिनांक 02.05.2012 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने बाद खरीद उक्त प्लॉट संख्या 01 के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष समस्त राशियां जमा करवा आवेदन किया और जविप्रा ने प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक में उक्त प्लॉट संख्या 01 का नियमन कर क्षेत्रफल-266.62 वर्गगज हेतु लीजडीड क्रमांक 1989 दिनांक 22.01.2013 को जारी की जिस लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201340005736, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 211 के पृष्ठ संख्या 94 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 842, पृष्ठ संख्या 582 से 592 पर दिनांक 17.05.2013 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। इसी प्रकार प्लॉट संख्या 02 महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्य विहार योजना जो कि मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मूलतः श्रीमती संगीता भार्गव को जरिये आवंटन पत्र दिनांक 20.05.1989 से आवंटित की गई थी जिससे सम्बन्धित समस्त राशियां समिति में जमा करवा कर आवंटी श्रीमती संगीता भार्गव द्वारा प्लाट संख्या 02 क्षेत्रफल 486.50 वर्गगज का भौतिक कब्जा मय मूल आवंटन पत्र व साईट प्लान प्राप्त कर लिया था। बाद आवंटन श्रीमती संगीता भार्गव जरिये मुख्तयार आम श्रीमती निर्मला भार्गव ने उक्त प्लॉट को श्री प्रकाश चन्द हीरावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2003 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक

कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 5819, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 307 के पृष्ठ संख्या 119 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1224, पृष्ठ संख्या 264 से 274 दिनांक 26.12.2003 को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। बाद खरीद श्री प्रकाश चन्द हीरावत ने उक्त प्लॉट संख्या 02 को श्री गौतम चन्द हरकावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 2004005681, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 100 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1339, पृष्ठ संख्या 586 से 596 पर दिनांक 30.12.2004 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् श्री गौतम चन्द हरकावत ने उक्त प्लॉट संख्या 02 को प्रथम पक्ष विक्रेता गण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2012 को बेचान कर दिया था। जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201240002474, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 157 के पृष्ठ संख्या 26 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 625, पृष्ठ संख्या 325 से 337 पर दिनांक 07.06.2012 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने बाद खरीद उक्त प्लॉट संख्या 02 के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष समस्त राशियां जमा करवा आवेदन किया और जविप्रा ने प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक में उक्त प्लॉट संख्या 02 का नियमन कर क्षेत्रफल-420.13 वर्गगज हेतु लीजडीड क्रमांक 1990 दिनांक 22.01.2013 को जारी की जिस लीजडीड का पंजीयन उप

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
जयपुर-6

पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201340000 5741, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 211 के पृष्ठ संख्या 99 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 842, पृष्ठ संख्या 645 से 655 पर दिनांक 17.05.2013 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। इसी प्रकार प्लॉट संख्या 25 महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्य विहार योजना जो कि मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मूलतः श्रीमती स्नेहलता भार्गव को जरिये आवंटन पत्र दिनांक 04.01.1989 से आवंटित की गई थी जिससे सम्बन्धित समस्त राशियां समिति में जमा करवा कर आवंटी श्रीमती स्नेहलता भार्गव द्वारा प्लाट संख्या 25 क्षेत्रफल 488.88 वर्गगज का भौतिक कब्जा मय मूल आवंटन पत्र व साईट प्लान प्राप्त कर लिया था। बाद आवंटन श्रीमती स्नेहलता भार्गव ने उक्त प्लॉट को श्री जुगल किशोर राठी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2003 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 5513, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 306 के पृष्ठ संख्या 13 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1218, पृष्ठ संख्या 137 से 146 पर दिनांक 08.12.2003 को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। बाद खरीद श्री जुगल किशोर राठी ने उक्त प्लॉट संख्या 25 को श्री गौतम चन्द हरकावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 2004005678,

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised

पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 97 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1339, पृष्ठ संख्या 553 से 563 पर दिनांक 30.12.2004 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् श्री गौतम चन्द हरकावत ने उक्त प्लॉट संख्या 25 को प्रथम पक्ष विक्रेता गण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2012 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201240000848, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 148 के पृष्ठ संख्या 200 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 592, पृष्ठ संख्या 574 से 586 पर दिनांक 27.02.2012 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने बाद खरीद उक्त प्लॉट संख्या 25 के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष समस्त राशियां जमा करवा आवेदन किया और जविप्रा ने प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक में उक्त प्लॉट संख्या 25 का नियमन कर क्षेत्रफल-464.44 वर्गगज हेतु लीजडीड कमांक 1991 दिनांक 22.01.2013 को जारी की जिस लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201340000574O, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 211 के पृष्ठ संख्या 98 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 842, पृष्ठ संख्या 631 से 644 पर दिनांक 17.05.2013 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। इसी प्रकार प्लॉट संख्या 26 महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्य विहार योजना जो कि मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

सहकारी समिति द्वारा मूलतः श्रीमती निर्मला भार्गव को जरिये आवंटन पत्र दिनांक 04.01.1989 से आवंटित की गई थी जिससे सम्बन्धित समस्त राशियां समिति में जमा करवा कर आवंटी श्रीमती निर्मला भार्गव द्वारा प्लाट संख्या 26 क्षेत्रफल 488.88 वर्गगज का भौतिक कब्जा व मूल आवंटन पत्र व साईट प्लान प्राप्त कर लिया था। बाद आवंटन श्रीमती निर्मला भार्गव ने उक्त प्लॉट को श्री जुगल किशोर राठी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2003 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 5103, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 304 के पृष्ठ संख्या 03 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1210, पृष्ठ संख्या 25 से 34 पर दिनांक 03.11.2003 को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। बाद खरीद श्री जुगल किशोर राठी ने उक्त प्लॉट संख्या 26 को श्री गौतम चन्द हरकावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 2004005680, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 99 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1339, पृष्ठ संख्या 575 से 585 पर दिनांक 30.12.2004 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् श्री गौतम चन्द हरकावत ने उक्त प्लॉट संख्या 26 को प्रथम पक्ष विक्रेता गण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2012 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201240001240, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 150 के पृष्ठ

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
सप्तम जयपुर

संख्या 192 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 600, पृष्ठ संख्या 481 से 493 पर दिनांक 21.03.2012 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने बाद खरीद उक्त प्लॉट संख्या 26 के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष समस्त राशियां जमा करवा आवेदन किया और जविप्रा ने प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक में उक्त प्लॉट संख्या 26 का नियमन कर क्षेत्रफल-464.44 वर्गगज हेतु लीजडीड क्रमांक 1992 दिनांक 22.01.2013 को जारी की जिस लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 2013400005739, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 211 के पृष्ठ संख्या 97 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 842, पृष्ठ संख्या 617 से 630 पर दिनांक 17.05.2013 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। इसी प्रकार प्लॉट संख्या 27, महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्य विहार योजना जो कि मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मूलतः श्रीमती महारानी भार्गव को जरिये आवंटन पत्र दिनांक 04.01.1989 से आवंटित की गई थी जिससे सम्बन्धित समस्त राशियां समिति में जमा करवा कर आवंटी श्रीमती महारानी भार्गव द्वारा प्लाट संख्या 27 क्षेत्रफल 457.77 वर्गगज का भौतिक कब्जा मय मूल आवंटन पत्र व साईट प्लान प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात् श्रीमती महारानी भार्गव ने अपने जीते-जी उक्त प्लाट संख्या 27 की वसीयत दिनांक 10.08.1989 को अपने दामाद श्री परमानन्द भार्गव के नाम कर दी थी। श्रीमती महारानी भार्गव की

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

मृत्योपरांत वसीयत के आधार पर स्वामी होने के आधार पर उनके दामाद श्री परमानन्द भार्गव ने उक्त प्लॉट को श्री प्रकाश चन्द हीरावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2003 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 5430, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 305 के पृष्ठ संख्या 130 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1216, पृष्ठ संख्या 354 से 363 पर दिनांक 28.11.2003 को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। बाद खरीद श्री प्रकाश चन्द हीरावत ने उक्त प्लॉट संख्या 27 को श्री गौतम चन्द हरकावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को बेचान कर दिया था जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, प्रथम के समक्ष क्रमांक 2004005682, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 101 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1340, पृष्ठ संख्या 01 से 11 पर दिनांक 30.12.2004 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। तत्पश्चात् श्री गौतम चन्द हरकावत ने उक्त प्लॉट संख्या 27 को प्रथम पक्ष विक्रेता गण को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2012 को बेचान कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र में उक्त प्लॉट के अंतरण के विवरण के अंकन में सहवन्वश विक्रयपत्र दिनांक 17.11.2003 में निष्पादक श्री परमानन्द भार्गव के स्थान पर श्रीमती महारानी भार्गव का अंकन टंकित हो गया था। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2012 का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201240001929, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 154 के पृष्ठ संख्या 81 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1,

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
सप्तम जयपुर

जिल्द संख्या 614, पृष्ठ संख्या 375 से 389 पर दिनांक 02.05.2012 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने बाद खरीद उक्त प्लॉट संख्या 27 के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष समस्त राशियां जमा करवा आवेदन किया और जविप्रा ने प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक में उक्त प्लॉट संख्या 27 का नियमन कर क्षेत्रफल-331.34 वर्गगज हेतु लीजडीड कमांक 1993 दिनांक 22.01.2013 को जारी की जिस लीजडीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर, सप्तम के समक्ष क्रमांक 201340000573 8, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 211 के पृष्ठ संख्या 96 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 842, पृष्ठ संख्या 602 से 616 पर दिनांक 17.05.2013 ईस्वी को नियमानुसार दर्ज होकर पंजीबद्ध हुआ है। इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेतागण उक्त वर्णित प्लॉट्स के मालिक, स्वामी व काबिज हुए।

तत्पश्चात् उक्त प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने जयपुर विकास प्राधिकरण (यथा पश्चात् जविप्रा के नाम से संबोधित) के समक्ष उक्त प्लॉट्स संख्या-01 क्षेत्रफल-266.62 वर्गगज, प्लॉट संख्या-02 क्षेत्रफल-420.13 वर्गगज, प्लॉट संख्या-25 क्षेत्रफल-464.44 वर्गगज, प्लॉट संख्या 26 क्षेत्रफल-464.44 वर्गगज तथा प्लॉट संख्या 27 क्षेत्रफल-331.34 वर्गगज के पुनर्गठन बाबत आवेदन मय आवश्यक फीस प्रस्तुत किया। जिस आवेदन पर बीपीसी (एलपी) की 196वीं बैठक दिनांक 19.07.2013 के एजेण्डा संख्या 2 पर जविप्रा ने पुनर्गठन का निर्णय ले राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने आदेश कमांक प.3(894)नविवि/3/2013/जयपुर दिनांक 24.

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
सप्तम जयपुर

09.2013 के माध्यम से उक्त प्लॉट्स के पुनर्गठन बाबत अपनी अभिस्वीकृति प्रदान की। जिसके उपरान्त जविप्रा ने राज्य सरकार की स्वीकृति व बीपीसी (एलपी) के निर्णय के अनुक्रम में उक्त प्लॉट्स संख्या 01, 02, 25, 26, व 27 कुल क्षेत्रफल 1946.97 वर्गगज की अनुमति जरिये पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन-4/2013/डी-4300 दिनांक 17.10.2013 को प्रदान करते हुए उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड हेतु पुनर्गठित साइट प्लान जारी किया।

तत्पश्चात् हम प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड पर बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये। जयपुर विकास प्राधिकरण (जविप्रा) की भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) द्वारा अपनी बैठक संख्या 160 में दिनांक 17.06.2014 को प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों को ऊंचाई-29.80 मीटर (स्टिल्ट+27 मीटर) व 2.25 फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) इत्यादि मानदण्डों के साथ अनुमोदित कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रथमपक्ष विक्रेतागण की प्रार्थना पर जविप्रा द्वारा उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड हेतु 12.93 मीटर ऊंचाई के अनुमोदित मानचित्र दिनांक 28.07.2014 को प्रसारित कर दिये गए। तत्पश्चात् प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा शेष ऊंचाई के मानचित्र प्रसारण हेतु जविप्रा द्वारा चाही गयी अनुज्ञा, अनापत्तियों हेतु सम्बद्ध विभागों यथा-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, अग्निशमन विभाग आदि के समक्ष उचित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेतागण श्रीमती सरोज शर्मा व श्री राजेश सहारण उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड जो कि प्लॉट संख्या 1, 2, 25, 26, व 27 से पुर्नगठित

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

होकर क्षेत्रफल 1946.97 वर्गगज है, के बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी व काबिज हैं तथा उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड प्रथमपक्ष विक्रेतागण की ओर से समस्त प्रकार के झगडों-टण्टों, वाद-विवाद, ऋण-भार, सरकारी व गैरसरकारी तथा जन साधारण की ओर से पाक व साफ हैं तथा उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड सम्पूर्ण या इसके किसी भाग को प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने आज तक किसी अन्य दीगर व्यक्ति को विक्रय, इकरारनामा या अन्य किसी भी प्रकार से रहन, बय, विक्रय आदि प्रकार से हस्तान्तरित या भारित किया है तथा उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड को अपने उपभोग, उपयोग में लेने व हस्तान्तरित व भारित करने के समस्त मालिकाना हक प्रथमपक्ष विक्रेतागण को प्राप्त हैं।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हक-हकूक का उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति, विभाग, राज्य या केन्द्रीय सरकार, संस्था, कम्पनी, समूह इत्यादि के किसी भी प्रकार के वाद, विवाद, ऋण, भार, कर, न्यायिक कार्यवाही इत्यादि से सर्वथा मुक्त है एवं ना तो उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य / केन्द्र सरकार या उनके किसी विभाग की अवाप्ति के अधीन है ना ही इस पर निर्माण, विकास करने पर किसी कदर रोक किसी न्यायालय, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को अपनी पारिवारिक, व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड जो कि प्लाट नम्बर- 1, 2, 25,

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक

जयपुर

26 व 27 से पुनर्गठित होकर सूर्यविहार योजना, केनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1946.97 वर्गगज अर्थात 1627.91 वर्गमीटर हैं को उपर नीचे के तमाम हकों सहित को बिना रखे इसमें अपने व अपने परिवार के किसी भी हक व अंश के मुबलिग 1,70,00,000/-रूपये अक्षरे एक करोड सत्तर लाख रूपये मात्र विक्रय प्रतिफल की ऐवज में द्वितीयपक्ष क्रेता मै. के.जी.के. प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विनियमों के अन्तर्गत निगमित एक प्राइवेट कम्पनी है) पंजीकृत कार्यालय-डी-44, भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राज., जरिये निदेशक श्री सौरभ वोहरा को आत्यंतिक रूप से विक्रय कर दिया है।

यह कि द्वितीय पक्ष केता द्वारा उक्त सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि में से अग्रिम भुगतान के पेटे रू. 45,00,000/- अक्षरे पैंतालिस लाख रू. का भुगतान प्रथमपक्ष विक्रेता संख्या2) श्री राजेश सहारण को जरिये आर.टी.जी.एस. ट्रांसफर कमांक-यू.टी.आई.बी.एच. 14182002801 द्वारा ऐक्सिस बैंक जयपुर के माध्यम से दिनांक 01.07.2014 को कर दिया है तथा शेष विक्रय प्रतिफल राशि रू. 1,25,00000/- शब्दे एक करोड पच्चीस लाख रू. का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के अन्तर्गत सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल में से 1 प्रतिशत टी.डी.एस. की कटोती कर आज दिनांक को वरवक्त विक्रय पत्र पंजीयन जरिये एक्सिस बैंक की सांगानेर शाखा, जयपुर के चैक संख्या 205051 दिनांक 07/08/2014 राशि रू.

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

39,15,000/- (उन्तालीस लाख पन्द्रह हजार रू.) प्रथमपक्ष विक्रेता संख्या 2 श्री राजेश सहारण के नाम एवं चैक संख्या 205052 दिनांक 07/08/2014 राशि रू. 84,15,000/- (चौरासी लाख पन्द्रह हजार रू.) प्रथमपक्ष विक्रेता संख्या 1 श्रीमती सरोज गर्ग के नाम कर दिया है। इस प्रकार उक्त वर्णित विकित भूखण्ड के विकय हेतु देय सम्पूर्ण विकय प्रतिफल राशि रूपये 1,70,00,000/- अक्षरे एक करोड सत्तर लाख रूपये मात्र प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने द्वितीयपक्ष क्रेता से प्राप्त कर लिये हैं जिनकी प्राप्ति स्वीकार कर प्रथमपक्ष विकेतागण ने इस विकय पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं अतः अलग से रसीद दिये जाने की आवश्यकता नही है।

खर्चा इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री का प्रत्येक प्रकार का द्वितीयपक्ष केता ने विक्रय मूल्यधन के अतिरिक्त अपने पास से वहन किया है।

यह कि अब विक्रय प्रतिफल में से प्रथमपक्ष विकेतागण को द्वितीयपक्ष केता से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है तथा विक्रय की गई उक्त वर्णित विकित भूखण्ड का मौके पर जाकर खाली शुदा प्लाट का वास्तविक कब्जा द्वितीयपक्ष केता का करा दिया हैं।

इस प्रकार अब द्वितीयपक्ष केता क्रय की गई उक्त वर्णित विकित भूखण्ड का प्रथमपक्ष विकेतागण के समान पूर्ण रूपेण मालिक, स्वामी, अधिकारी व काबिज हो गया हैं तथा इस क्रय की गई सम्पत्ति में वे समस्त हक व अधिकार व मालिकाना आदि जो अब तक प्रथमपक्ष विकेतागण को प्राप्त थे वह सब

For XGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक

आज से द्वितीयपक्ष क्रेता को प्राप्त व निहित हो गये हैं तथा भविष्य में रहेंगे, अब द्वितीयपक्ष केता क्रय की गई उक्त वर्णित विकित भूखण्ड को जिस प्रकार भी चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवें, मंजिल दर मंजिल निर्माण करावे, पानी-बिजली के कनैक्शन अपने नाम से प्राप्त करें एवं जिस प्रकार चाहे इसको हस्तान्तरित कर फायदा उठावें, अब आज से उक्त वर्णित विकित भूखण्ड से प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के उत्त्राधिकारियों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों, दायभागियों आदि का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा।

यह कि विक्रय की गई उक्त वर्णित विकित भूखण्ड के सम्बन्ध में आज से पूर्व का प्रथमपक्ष विकेतागण की ओर का कोई बकाया कर, मुद्रांक शुल्क, पानी, बिजली, सोसायटी, वाद-विवाद, सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या उक्त बेचान के विरुद्ध कोई व्यक्ति, संस्था या सरकारी विभाग किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप करेगा तो उन समस्त के निपटारे की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विकेतागण के खर्च एवं प्रयासों पर स्वयं प्रथमपक्ष विकेतागण की होगी द्वितीयपक्ष केता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा तथा आज के पश्चात की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष केता की होगी।

यह कि प्रथमपक्ष विकेतागण ने द्वितीयपक्ष केता कम्पनी को आश्वस्त किया है कि जविप्रा द्वारा बी.पी.सी. मीटिंग दिनांक 17.06.2014 के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्रों को स्वीकृत मानदण्डों यथा ऊंचाई, एफ.ए.आर. इत्यादि के साथ सम्बन्धित

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

उप पंजीयक
जयपुर-6

विभागों से अनुज्ञा व अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर प्रथमपक्ष विक्रेतागण जविप्रा को प्रस्तुत कर देगें एवं स्वीकृत ऊंचाई व एफ.ए.आर. के मानचित्र प्रसारित करवा द्वितीयपक्ष क्रेता को सम्हला देगें। इस प्रकार उक्त स्वीकृत मानदण्डों यथा ऊंचाई, एफ.ए.आर. इत्यादि के साथ मानचित्रों को जविप्रा से प्रसारित करवा कर द्वितीयपक्ष क्रेता को संभलाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी।

यह कि विक्रय की गई उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेतागण के स्वामित्व व अधिकारों या अनुमोदन की प्रकिया की किसी त्रुटि के कारण उक्त सम्पत्ति, इसका कोई भाग या अंश द्वितीयपक्ष क्रेता के कब्जे व अधिकार से निकल जावे या उक्त वर्णित विक्रयाधीन भूखण्ड पर निर्माण इत्यादि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति आई या उक्त वर्णित विक्रयाधीन भूखण्ड के भू-सम्परिवर्तन/पुनर्गठन/मानचित्र अनुमोदन में अविधिकता या देय शुल्क के भुगतान में अनियमितता इत्यादि किसी भी कारण सरकार/स्थानीय प्राधिकारी इत्यादि द्वारा यदि भू-संपरिवर्तन/पुनर्गठन/मानचित्र अनुमोदन पर आपत्ति की जाती है या रद्द की जाती है या अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है या द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रथमपक्ष विक्रेतागण की ओर के कोई ऋण, भार, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, बैंक व जन साधारण के वहन करने पड़े तो द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार है, कि वह ऐसी संपूर्ण हानि जो कि उपरोक्त में से किसी कारण से द्वितीयपक्ष क्रेता को भुगतनी पडती है मय उक्त वर्णित विक्रित

For XGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

भूखण्ड के उस समय के बाजार मूल्य मय हर्जे, खर्चे व उस के विकास, निर्माण इत्यादि पर द्वितीयपक्ष केता द्वारा किये गये खर्चे सहित प्रथमपक्ष विकेतागण से एवं उनकी चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवें, इसमें प्रथमपक्ष विकेतागण व उसके उत्तराधिकारियों आदि को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा और साथ ही कोई दीगर व्यक्ति उक्त सम्पत्ति पर अपना हक या दावा प्रस्तुत करे तो ऐसे सभी विवादो का निपटारा, सुलटारा एवं चुकारा प्रथमपक्ष विकेतागण अपने धन व श्रम से करवाने हेतु बाध्य होंगे ओर किसी भी विवाद से द्वितीयपक्ष केता का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही होगा।

अब क्रय की गई उक्त वर्णित विकित सम्पत्ति को उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता बहैसियत एकमात्र मालिक को अपनी इच्छा अनुसार हर प्रकार से अपने काम में लेने, उपयोग व उपभोग करने, फायदा उठाने व उसे किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था इत्यादि के हित में रहन, विक्रय, बख्शीश इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करने के पूर्ण अधिकार होंगे।

अब द्वितीयपक्ष क्रेता क्रय की गई उक्त वर्णित विकित भूखण्ड के सम्बन्ध में इस विक्रय पत्र द्वारा सोसायटी, नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग इत्यादि सम्बन्धित समस्त विभागों में अपना नाम स्वामी के रूप में अंकित करवा लेवे, प्रथमपक्ष विकेतागण द्वारा उक्त वर्णित विकित भूखण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों, जविप्रा इत्यादि के समक्ष आवेदित मानचित्रों, अनापत्ति, सहमति,

For KGK Project ... Private Limited
Director/Authorised Sig.

उप पंजीयक
जयपुर-8

अनुमति इत्यादि के सम्बन्ध में यदि प्रथमपक्ष विक्रेतागण के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण, द्वितीयपक्ष क्रेता की पूर्ण कानूनी सहायता करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे।

यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने द्वितीयपक्ष क्रेता को आज ही बरवक्त पंजीयन विक्रय पत्र संभला दिये हैं।

विक्रय की गई सम्पत्ति का पूरा विवरण

विक्रय की गई सम्पत्ति एक आवासीय पुनर्गठित खाली भूखण्ड है जो कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति रजि. नम्बर 3092/एल की सूर्यविहार योजना, मनोहरपुरा, जगतपुरा रोड, जयपुर में स्थित प्लॉट नम्बर 01 क्षेत्रफल 266.62 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 02 क्षेत्रफल 420.13 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 25 क्षेत्रफल 464.44 वर्गगज, प्लॉट नम्बर 26 क्षेत्रफल 464.44 वर्गगज व प्लॉट नम्बर 27 क्षेत्रफल 331.34 वर्गगज, से मिलकर बना है, जिसकी उत्तरी भुजा की नाप पूर्व से पश्चिम 89 फीट 6 इंच जो दक्षिण दिशा की ओर घूमकर उत्तर-दक्षिण 69 फीट 6 इंच तथा पुनः बांई ओर अर्थात पूर्व दिशा की ओर घूमकर 55 फीट चलकर इस भूखण्ड की पूर्वी भुजा से मिलती है, पूर्वी भुजा की नाप उत्तर से दक्षिण 76 फीट हैं, दक्षिण भुजा की नाप पूर्व से पश्चिम 152 फीट 3 इंच है तथा पश्चिम भुजा की नाप उत्तर से दक्षिण 145 फीट 6 इंच है इस प्रकार इस पुनर्गठित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल-1946.97 वर्गगज अर्थात् 1627.91 वर्गमीटर होता है। जिसकी चर्तुसीमाऐं निम्नानुसार है-

पूर्व दिशा की ओर-	प्लॉट संख्या 24
पश्चिम दिशा की ओर-	सडक 40 फीट चौडी
उत्तर दिशा की ओर-	सडक 60 फीट चौडी
दक्षिण दिशा की ओर-	सडक 30 फीट चौडी

For KGK Projects (India) Private Limited

Director/Authorised Signatory

इस प्रकार उपरोक्त प्रकार से वर्णित विक्रित भूखण्ड को इस विक्रयपत्र में 'उक्त वर्णित विक्रित भूखण्ड' के नाम से सम्बोधित किया गया है इस विक्रय पत्र के साथ संलग्नक-स्थल मानचित्र में 'पीले' रंग से दर्शाया गया है, जो कि इस विक्रयपत्र का अभिन्न अंग रहेगा)।

अतः यह विक्रयपत्र प्रथमपक्ष ने अपने होश हवास की दुरुस्ती में बिना किसी जब्र व दबाव के स्वेच्छा पूर्वक 5,000/- रुपये के एक मुद्रांक पत्र एवं बीस पाई पेपर पर लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेतागण	हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता
1. सरोज जैन	For KGK Projects (India) Private Limited Director/Authorised Signatory
PAN:-AGNPG9586C	
2. राजेश सहारण	मै. के.जी.के.प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्रा.लि. जरिये निदेशक सौरभ वोहरा
PAN:-ANXPS7021F	PAN:-AAFCK0904P

गवाहः-

	नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम अग्रवाल, उम्र-लगभग41 वर्ष, जाति-महाजन, निवासी-7/406, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।	
2.	गौरव उपाध्याय पुत्र श्री महेन्द्र कुमार उपाध्याय, उम्र-लगभग 26 वर्ष, जाति-ब्राहमण, निवासी-नमक का कटरा, बासन गेट के पास, भरतपुर, राजस्थान।	

प्रारूपकर्ता-

अरविन्द कुमार जैन,
एडवोकेट, राज. उच्च न्यायालय।
मोबाइल-9929110662

उप पंजीयक
जयपुर-8

SITE PLAN OF RECONSTITUTED PLOT No. 1, 2, 25, 26 & 27
SCHEME: SURYA VIHAR (MAHATMA GANDHI G.N.S.S.)
MANOHARPURA, JAGATPURA ROAD, JAIPUR.

AREA: 1946.97 Sq. Yds.
1627.91 Sq. Mts.

SCALE : NTS

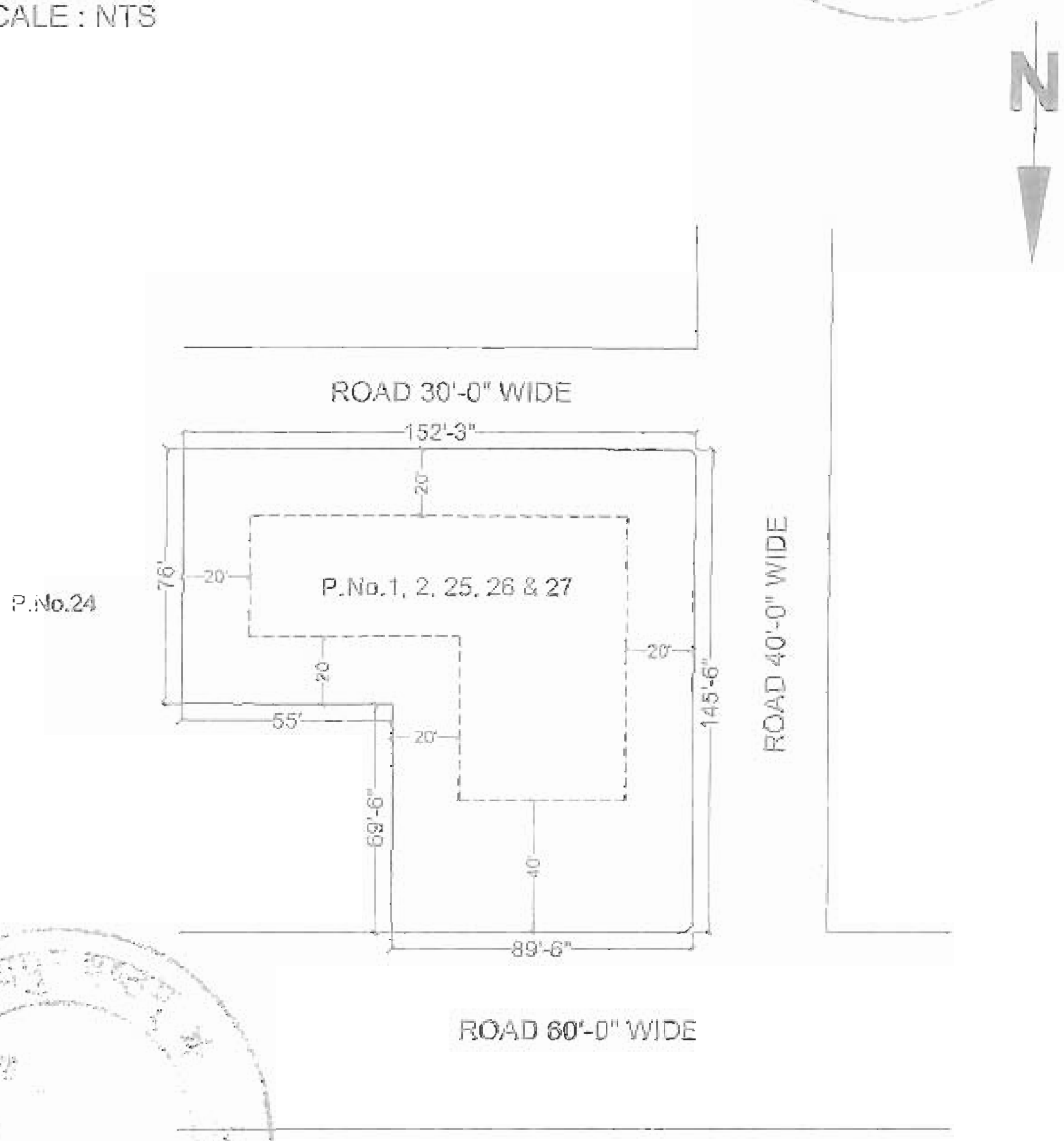

PLOT UNDER
PURCHASE SHOWN THUS

SIGN.
SELLER

For KGK Projects (India) Private Limited
Director/Authorised Signatory

SIGN.
PURCHASER

आज दिनांक 11/8/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 179
में पृष्ठ संख्या 52 क्रम संख्या 2014396003709पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 714
के पृष्ठ संख्या 19 से 46
पर चस्पा किया गया।

(2014396004711) उप पंजीयक JAIPUR-VI
Sale Deed (Conveyance deed)